



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FP 890388



Sworn & Verified  
Before Me

किराया नामा

संजय कुमार सिंह पुत्र श्री टी0पी0 सिंह पदस्थ अतिरिक्त जिला जज झॉंसी  
प्रथम पक्ष / मकान मालिक

एवं

विजय लक्ष्मी मिश्रा पुत्र श्री प्रेम नारायण मिश्रा पत्नी गुलशन शर्मा निवासिनी अशोक  
रोड इटौंजा लखनऊ।  
द्वितीय पक्ष / किरायेदार

हम उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर किराया नामा तहरीर करते हैं:-

A.k  
65/10/2020  
**AKHILESH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Ranchi, Munaniganj, Lucknow

Sy

Vijay Laxmi Mishra



1- यह कि प्रथम पक्ष एक किता फ्लैट नं० ए०आर० सी०-13/404 स्थित वृन्दावन योजना { आरावली इनक्लेव } वृन्दावन कालोनी सेक्टर-12 लखनऊ का मालिक व लैण्डलॉर्ड है। उक्त फ्लैट में दो बेडरूम, लेट्रीन, बाथरूम, किचिन, एवं हाल निर्मित है जिसे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 12,000/- बारह हजार रुपये } प्रति माह की दर से ग्यारह माह के लिए किराये पर दे रहा है।

2- यह कि किरायेदारी आज दिनांक 5-10-2020 से प्रारम्भ होकर आगामी 11 माह के लिए प्रभावी होगी।

3- यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त फ्लैट रिहायश हेतु लिया है जिसमें द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तथा ना ही किसी व्यक्ति को शिकमी किराये पर देगा।

4- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की 01 तारीख को अग्रिम किराया अदा करेगा तथा किराया अदायगी में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करेगा।

5- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किरायेदारी फ्लैट में प्रथम पक्ष की बिना लिखित सहमति के किसी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ रद्दो बदल नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार से उक्त फ्लैट को क्षतिग्रस्त करेगा।

6- यह कि उक्त फ्लैट में विद्युत संयोजन है तथा द्वितीय पक्ष मीटर के हिसाब से बिजलीका बिल किराये के अतिरिक्त अलग से अदा करेगा अथवा बिजली विभाग में स्वयं जमा करेगा जिसकी रसीद प्रथम पक्ष को अदा करेगा।

7- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सोसायटी का रख-रखाव, मेन्टीनेन्स आदि चार्ज जो भी होगा वह स्वयं सोसायटी में जमा करके रसीद प्राप्त करेगा प्रथम पक्ष को किरायेदारी अवधि के दौरान सोसायटी के रख-रखाव एवं चार्जेस से कोई मतलब नहीं रहेगा।

*Su*

*Vijay Laxmi Mishra*

*Ak*  
05/10/2020  
**AKHILESH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Jansil Mohantaiganj, Lucknow

8-यह कि प्रथम पक्ष को जब भी उक्त किरायेदारी वाले भवन की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष एक माह पूर्व नोटिस देकर उक्त फ्लैट द्वितीय पक्ष से खाली करा लेगा।

9-यह कि फ्लैट नव निर्मित है जिस पर यू0 पी0 एक्ट0 नं0-13 सन् 1972 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

10-यह कि 11 माह व्यतीत होने के बाद यदि द्वितीय पक्ष की किरायेदारी जारी रहती है नई शर्तों के मुताबिक किराये की धनराशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर नया किराया नामा तहरीर किया जायेगा।

अतः यह किराया नामा अनुबन्ध पत्र हम पक्षकारों ने सोच समझकर पूर्ण स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के समक्षगवाहान आज दिनांक 05-10-2020 को तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

हस्ताक्षर गवाहान

ह0 प्रथम पक्ष/मकान मालिक

Ak  
05/10/2020

1

Su  
5/10/2020

**AKHILESH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Tahsil Mohanlalganj, Lucknow

2

ह0 द्वितीय पक्ष/किरायेदार

Gulshan Sharma

Vijay Laxmi Mishra

Aadhar no. 807025648883

I identified the deponent/executant/surety  
who has Signed/put T.I. before me.

Navan Chaugani

Aadhar no. 5260 8210 9564